

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 02/2018 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम श्री घनश्याम पुत्र जमना लाल सेठिया (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स महेश ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान सं. 19, कृषि उपज मण्डी भीलवाड़ा, नमूना स्थल- गोदाम, पालडी स्कूल के पीछे, पालडी भीलवाड़ा  
स्थाई पता - मं. सं. 06-सी-32, आर.सी.व्यास कॉलोनी जिला भीलवाड़ा

- प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52

उपस्थित-

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय परोकार उपस्थित
- 2 विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं

आदेश

दिनांक 28.06.2018

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है, कि विपक्षी श्री घनश्याम पुत्र जमना लाल सेठिया विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स महेश ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान सं. 19, कृषि उपज मण्डी भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु मूंगफली तेल (ब्राण्ड-स्वास्तिक) का विक्रय कर रहा था। दिनांक 18.08.2017 को थानाधिकारी थाना सदर जिला भीलवाड़ा द्वारा तहरीर जारी कर घनश्याम सेठिया के ग्राम पालडी में स्थित गोदाम पर सोयाबिन तेल को मूंगफली तेल के स्टीकर लगाकर अलग अलग नाम से विक्रय करने की सूचना देकर कार्यवाही करने हेतु तहरीर भिजवाई गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 18.08.2017 को बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु पालडी रोड पालडी स्कूल के पीछे पालडी, भीलवाड़ा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। मौके पर विक्रेता एवं मालिक ने बताया कि

उनकी फर्म मैसर्स महेश ट्रेडिंग कम्पनी दूकान सं. 19 कृषि उपज मण्डी भीलवाडा स्थित है। साथ ही विक्रेता ने बताया कि उनकी फर्म ने खाद्य रजिस्ट्रेशन ले रखा है व खाद्य रजिस्ट्रेशन बाद में पेश करने का निवेदन किया गया। नमूना स्थल पालडी में उनका गोदाम है। मौके पर विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि मूंगफली तेल (ब्राण्ड स्वास्तिक) के 5-5 लीटर प्लास्टिक जार के 10 कार्टून पैक अवस्था में रखे हुए थे। एक कार्टून को खोलने पर पाया कि प्रत्येक कार्टून में 4 प्लास्टिक जार 5-5 लीटर के रखे हुये थे। एक प्लास्टिक के जार को ध्यान से देखने पर Groundnut Oil, Brand-Swastik, Batch. No. - Not Manton, Pkd. Not Manton, Net. Not Manton, BEST BEFORE Not Manton, Green Symbole - Present, Mfg By- Not Manton इत्यादि अंकित था। मूंगफली तेल (ब्राण्ड-स्वास्तिक) में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5 ए की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ मूंगफली का तेल (ब्राण्ड-स्वास्तिक) के 5 लीटर जार को 5-7 बार उल्टा एवं सीधाकर मूंगफली तेल को हिला मिलाकर एक रूप किया। जार के ढक्कन को खोलकर 1600 ग्राम मूंगफली तेल एक साफ सूखे वाली स्टील के भगोने में तुलवाकर नमूना वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत खरीदा एवं इस बाबत 110/- रुपये अक्षरे एक सौ दस रुपये देकर रसीद प्राप्त की।

खरीदशुदा मूंगफली का तेल (ब्राण्ड-स्वास्तिक) को गवाहों एवं विक्रेता के सामने चार साफ, सूखे, खाली, चौड़े मुंह के कांच के जारों में डाला एवं ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना भाग के लिए चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स-361 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स-361 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों

साइडों पर सील चपड़ी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैंने व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील नमूना भागों पर विक्रेता/मैनेजर श्री घनश्याम पुत्र जमना लाल सेठिया विक्रेता एवं मालिक) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये। सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपड़ी किया था उसका मोनोग्राम मौके पर फर्द पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने के IV Part की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी।

खाद्य नमूना सं. एक्स 361 के एक सीलबन्द भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ जिस पर वहीं सील नमूना अंकित था जो मैंने नमूना लेते समय काम मे ली थी। एक आउटर कवर में बंद कर, नमूने का विवरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला का नाम व पता लिखकर श्री रामलाल राव, च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर एवं फार्म नं. 06 की दो प्रतियां एक लिफाफे में बंद कर भिजवाई गई ।

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./577/Act/2017/577 दिनांक 01.09.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स-361 मूंगफली का तेल (ब्राण्ड- स्वास्तिक) सबस्टैण्डर्ड (Sub Standard) व मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री घनश्याम पुत्र जमना लाल सेठिया विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स महेश ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान सं. 19, कृषि उपज मण्डी भीलवाडा द्वारा सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड मूंगफली का तेल (ब्राण्ड- स्वास्तिक) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 02.05.2018 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 04.05.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 11.06.2018 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी बावजूद

सूचना के उपस्थित नहीं है। विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये खाद्य नमूने पर Batch. No. – Not Manton, Pkd. Not Manton, Net. Not Manton, BEST BEFORE Not Manton, Green Symbole – Present, Mfg By- Not Manton पाया गया है। लिये गये खाद्य नमूने एक्स-361 में Butyro – refractometer reading at 40<sup>0</sup> C. पर 59.7 पायी गयी, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत यह मात्रा 54.0 से 57.1 ही पायी जानी चाहिये थी। इसी प्रकार लिये गये खाद्य नमूने में Iodine value 122.21 पायी गयी, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत 85.0 से 99.0 ही होनी चाहिये। लिये गये खाद्य पदार्थ में Bellier Test (Turbidity temperature – Acetic acid method) 21.0<sup>0</sup> C. पायी गयी, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत 39.0<sup>0</sup> C से 41.0<sup>0</sup> C ही होनी चाहिये। विक्रेता फर्म ने Food Safety and Standarded (Packaging & Labelling) Regulation, 2011 a के रूल्स 2.2.1(7), 2.2.2(6), 2.2.2(8), 2.2.2(9) and 2.2.2(10) का उल्लंघन किया है एवं सब स्टैण्डर्ड मूंगफली का तेल (ब्राण्ड-स्वास्तिक) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। इसलिए लिया गया नमूना सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड मूंगफली का तेल (ब्राण्ड-स्वास्तिक) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./577/Act/2017/577 दिनांक 01.09.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स-3601 मूंगफली का तेल (ब्राण्ड-स्वास्तिक) सब स्टैण्डर्ड व मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये खाद्य नमूने पर Batch. No. – Not Manton, Pkd. Not Manton, Net. Not Manton, BEST BEFORE Not Manton, Green Symbole – Present, Mfg By- Not Manton पाया गया है। लिये गये खाद्य नमूने एक्स-361 में Butyro – refractometer reading at 40<sup>0</sup> C. पर 59.7 पायी गयी, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत यह मात्रा 54.0 से 57.1 ही पायी जानी चाहिये थी। इसी प्रकार लिये गये खाद्य

नमूने में Iodine value 122.21 पायी गयी, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत 85.0 से 99.0 ही होनी चाहिये। लिये गये खाद्य पदार्थ में Bellier Test (Turbidity temperature – Acetic acid method) 21.0<sup>0</sup>C. पायी गयी, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत 39.0<sup>0</sup> C से 41.0<sup>0</sup> C ही होनी चाहिये। विक्रेता फर्म ने Food Safety and Standarded (Packaging & Labelling) Regulation, 2011 a के रूल्स 2.2.1(7), 2.2.2(6), 2.2.2(8), 2.2.2(9) and 2.2.2(10) का उल्लंघन किया है एवं सब स्टेण्डर्ड मूंगफली का तेल (ब्राण्ड-स्वास्तिक) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। इसलिए लिया गया नमूना सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सब स्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड मूंगफली का तेल (ब्राण्ड-स्वास्तिक) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 15,000/-रुपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



28/06/18  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
भीलवाड़ा (राज.)

**प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—**

- 1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर
- 2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
- 3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
- 4 श्री घनश्याम पुत्र जमना लाल सेठिया (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स महेश ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान सं. 19, कृषि उपज मण्डी भीलवाडा, नमूना स्थल— गोदाम, पालडी स्कूल के पीछे, पालडी भीलवाडा स्थाई पता — मं. सं. 06-सी-32, आर.सी.व्यास कॉलोनी जिला भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

28/06/18  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाड़ा (राज.)